

न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला — बालाघाट, (म.प्र.)

आप. प्रक. क्र.—1897 / 2003
संस्थित दिनांक—10 / 12 / 2003

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

रोशनलाल, पिता किसनलाल, उम्र 45 वर्ष,

जाति पंवार, साकिन चारटोला,

थाना मलाजखंड, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—16 / 06 / 2014 को घोषित)

1— आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 के अन्तर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—21 / 04 / 2003 को समय करीब 17 बजे, स्थान ग्राम परसाटोला, थाना बैहर के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक—एम. पी.—22 / बी.—4837 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन से गोविंद की मोटरसाईकिल को ठोस मारकर उस पर सवार गोविंद एवं कुमारी कीर्ति को साधारण एवं परमिलाबाई के फ्रेन्टल बोन में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—21.04. 2013 को समय करीब 17:00 बजे, स्थान परसाटोला थाना बैहर के अन्तर्गत प्रार्थी गोविंद अपनी पत्नी परमिलाबाई व पुत्री कुमारी कीर्ति के साथ मोटरसाईकिल से बासिनखार होते हुए परसाटोला जा रहा था तभी ट्रक क्रमांक—एम.पी.22 / बी.4837 का चालक उकवा से बैहर तरफ तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आया और गोविंद की मोटरसाईकिल को ठोस मार दिया, जिससे तीनों आहतगण मोटरसाईकिल से गिर गये और उन्हें चोट कारित हुई। प्रार्थी द्वारा दिनांक—21.04.2013 को घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी उकवा में दर्ज जाने पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक—0 / 03 का अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम किया गया, तथा थाना बैहर में असल नम्बर पर अपराध क्रमांक—72 / 03 पंजीबद्ध कर, थाना बैहर द्वारा विवेचना पर आरोपी रोशनलाल

के विरुद्ध धारा-279, 337, 338 भा.द.वि. के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये, आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है तथा अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश की।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक-21/04/2003 को समय करीब 17:00 बजे, स्थान ग्राम परसाटोला, थाना बैहर के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.22/बी.4837 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक से चलाकर, गोविंद की मोटरसाईकिल को ठोस मारकर उसमें सवार आहत गोविंद व कुमारी कीर्ति को ठोस मारकर साधारण उपहति कारित किया?

3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक से चलाकर आहत परमिलाबाई को ठोस मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया?

विचारणीय बिन्दु क्र.-1 से 3 पर एक साथ सकारण निष्कर्ष :-

5— गोविंद (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है वह मलाजखंड का निवासी है। कुमारी कीर्ति उसकी पुत्री है तथा परमिलाबाई उसकी पत्नी है। घटना करीब चार-पांच वर्ष पूर्व शाम करीब 5:00 बजे परसाटोला के पास स्कूल के सामने रोड की है। वह अपनी मोटरसायकिल से अपनी पत्नी तथा पुत्री के साथ उकवा से ग्राम बासिंगखार मलाजखंड जा रहा था। उक्त मोटरसाईकिल को वह चला रहा था। उसके सामने से एक ट्रक जा रहा था। उक्त ट्रक ने उसे आगे से काँस होने पर टक्कर मारा था। ट्रक को आरोपी चला रहा था, जिसने उन लोगों को टक्कर मारा था। उक्त घटना में उसकी पत्नी व पुत्री गिर गये थे, जिससे उसकी पत्नी को सिर, हाथ, माथे पर चोट लगी थी, एवं कीर्ति को ज्यादा चोट लगी थी। घटना में उसे हल्की सी चोट आयी थी। आरोपी ट्रक को

सही नहीं चला रहा था। आरोपी तेज गति से वाहन कास किया था, जिससे टक्कर लगी थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने मौखिक किया था, जिस पर पुलिस के द्वारा उक्त घटना की जाँच की गई थी तथा उसका मुलाहिजा करवाया गया था। उसने उक्त घटना के संबंध में पुलिस को बयान दिया था।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसकी मोटरसाईकिल 30-40 कि.मी. प्रति घण्टा की गति से चल रही थी, उस समय ट्रक की गति से उसकी मोटरसाईकिल की गति ज्यादा थी और वह तेज गति से जा रहा था तथा ट्रक धीमी गति से जा रहा था इसलिए वह ट्रक के आगे निकल गया, उसने ट्रक को ड्राइवर साईड से ओवर टेक किया था और वह अपनी गाड़ी को ट्रक से आगे ले जा रहा था। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के विपरीत प्रतिपरीक्षण में यह कथन किये हैं कि घटना के समय ट्रक की गति से मोटरसाईकिल की गति ज्यादा थी और वह तेज गति से जा रहा था और ट्रक धीमी गति से चल रहा था। साक्षी के कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि घटना के समय मोटरसाईकिल पर तीन लोग बैठे थे और ट्रक की गति से तेज चलाते हुए ट्रक को ओवर टेक किया गया था। ऐसी दशा में उक्त घटना में आरोपी की स्पष्ट रूप से उतावलेपन या लापरवाही बरते जाने का तथ्य प्रकट नहीं होता है बल्कि स्वयं मोटरसाईकिल चालक के रूप में उक्त आहत के द्वारा उतावलेपन से वाहन चलाने के कारण उक्त दुर्घटना होना प्रकट होता है।

7— आहत परमिलाबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना उसके कथन से लगभग 7-8 साल पुरानी है। वह अपने पति और पुत्री के साथ उकवा से बासीनघाट शादी में मोटरसाईकिल से जा रहे थे, तो उकवा तरफ से आने वाले ट्रक ने पीछे से ठोस मार दिया था। टक्कर मारते समय वह इतना देख पायी की सामने वाले चक्के में फंस सकते हैं उसके बाद टक्कर हो गई, उसके बाद वह बेहोश हो गयी थी। उसे होश बालाघाट अस्पताल में आया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय ट्रक रोड़ छोड़कर साईड में हो गया था और वह लोग भी अपनी साईड से जा रहे थे। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा वाहन को लापरवाही से चलाये जाने या उसकी गलती से दुर्घटना होने के तथ्य को प्रकट नहीं किया है बल्कि बचाव पक्ष के इस तथ्य का समर्थन किया है कि घटना के समय कथित दुर्घटना कारित ट्रक अपने साईड चल रहा था और मोटरसाईकिल के द्वारा ओवर टेक करने पर उसने साईड भी दी थी।

8— आहत कुमारी कीर्ति (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी रोशनलाल को जानती है। घटना करीब चार-पांच वर्ष पुरानी है। वह अपने माता-पिता के साथ बासीनघाट नाना-नानी के यहाँ जा रहे थे, रास्ते

में एक ट्रक जो उकवा से बासीनघाट तरफ जा रहा था काफी देर तक उन लोगों के आगे-आगे चल रहा था फिर काफी देर तक उनको साईड नहीं दिया। साईड देने के बाद थोड़ी आगे जाने पर हमारी मोटरसायकिल जब आगे बढ़ी तो ट्रक वाले ने ट्रक को मोड़ दिया, जिससे वह सामने वाले चक्के में टकराकर गिर गए। जब वे तीनों मोटरसायकिल से गिर गए तो घटना स्थल के पास के लोग आये और उन लोगो को पानी पिलाये। फिर बस आयी तो उन लोगों को बस में बैठाकर उकवा ले गये थे। उकवा में उन लोगो को अस्पताल ले गये थे। उसके बाद उन लोगो को बालाघाट अस्पताल ले गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कुछ देर बाद ट्रक वाले ने साईड दिया था तब उनकी मोटरसाईकिल आगे बढ़ गई थी। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में ट्रक चालक के द्वारा ट्रक को मोड़ दिये जाने पर टक्कर से मोटरसाईकिल गिर जाने के कथन किये है किन्तु यह कथन नहीं किया है कि उक्त ट्रक चालक की गलती से दुर्घटना कारित हुई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण मे यह तथ्य प्रकट होता है कि घटना के समय ट्रक वाले के साईड देने पर उनकी मोटरसाईकिल आगे बढ़ गई थी। ऐसी दशा में ट्रक के चालक के विरुद्ध कथित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाये जाने का तथ्य साक्षी के कथन से प्रकट नहीं होता है।

9— डॉक्टर प्रदीप गेड़ाम (अ.सा.6) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-21.04.2003 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक दीनदयाल कमांक-487 पुलिस चौकी उकवा द्वारा आहत परमिलाबाई, गोविंद एवं कीर्ति को परीक्षण हेतु लाया गया था। साक्षी के द्वारा आहत परमिलाबाई को घोर उपहति कारित होने तथा आहत गोविंद व कीर्ति को साधारण उपहति कारित होने की पुष्टि अपने चिकित्सीय अभिमत में की गई है जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियोजन मामले के अनुरूप साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में आहतगण को घटना के समय साधारण व घोर उपहति कारित होने की पुष्टि की है।

10— चंदन (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को नहीं पहचानता है। उसे याद नहीं है कि पुलिस ने उसके सामने कोई जप्ती की या नहीं। साक्षी ने स्वतः व्यक्त किया कि उस तरफ काम करने गया होऊंगा तो पुलिस वालों ने उससे अंगुठा लगवा लिया होगा। उसका नाम चंदन है। उसका दूसरा अन्य कोई नाम नहीं है। इसी प्रकार सुशील कुमार (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह उकवा रहता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसे नहीं मालूम की इस प्रकरण में क्या हुआ था। साक्षी बिदेसिंह (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है कि वह आरोपी

को नहीं जानता। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त तीनों साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

11— विवेचनाकर्ता अनिललाल सैरयाम (अ.सा.8) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-22.04.2003 को थाना बैहर में ए.एस.आई के पद पर पदस्थ होते हुए थाना प्रभारी द्वारा विवेचना हेतु अपराध क्रमांक-72/03, अन्तर्गत धारा-279, 337, 338 भा.दं.वि. दिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षी सईन भाई, बिदेसिंह, मोहेब खान के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उसके द्वारा दिनांक-15.11.2003 को जप्ती पत्रक के गवाहों के समक्ष ट्रक क्रमांक-एम.पी. 22/बी.4837 एवं उसके कागजात जप्त किया था, जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं उक्त दिनांक को ही आरोपी रेशनलाल को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया गया है।

12— राधेश्याम (अ.सा.9) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-23.05.2003 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को अपराध क्रमांक-62/03 की विवेचना के दौरान घटना स्थल पर जाकर परमिला बाई एवं कीर्ति की निशानदेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी-6 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-24.04.2003 को साक्षी अधिनलाल एवं सुशील, दिनांक-23.05.2003 को कुमारी कीर्ति, परमिला एवं दिनांक-24.05.2003 को गोविंद के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। विवेचना पूर्ण कर समस्त दस्तावेज थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था। साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया गया है।

13— सुखदेव कटरे (अ.सा.10) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-21.04.2003 को पुलिस चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अस्पताल तहरीर प्रदर्श पी-7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा से प्राप्त होने पर उसके द्वारा अज्ञात चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/03, धारा 279, 337 भा.दं.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-8 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आहत परमिला, गोविंद, कुमारी कीर्ति का मुलाहिजा फार्म भरकर मुलाहिजा हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा भेजा था। साक्षी के द्वारा मामले में प्राथमिकी दर्ज किये जाने की पुष्टि की गई है।

14— डॉक्टर पी.के.वैध (अ.सा.11) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—22.04.2003 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रे लालबर्रा में सीनियर मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना रूपझर से आहत परमिलाबाई को एक्सरे हेतु रिफर किया गया था। उक्त आहत का एक्सरे किया गया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक—1003 है, जो आर्टिकल ए—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने आहत के फ्रंटल बोन पर डिफ्रैक्ट होना पाया था। उक्त एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी—9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत को आयी चोट किसी कड़ी सतह पर गिरने से आ सकती है। साक्षी ने आहत परमिलाबाई को घोर उपहति कारित होने की पुष्टि की है।

15— बचाव पक्ष की ओर से मूलचंद बोपचे ब.सा.1 की साक्ष्य करायी गई है, जिसके माध्यम से यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है कि घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन को सोयेब खान चला रहा था। आहतगण, आरोपी रोशन के पहचान के थे इस कारण उन्होंने रोशन के नाम से रिपोर्ट लिखायी है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात ट्रक चालक के नाम से लिखायी गई है। जहाँ तक घटना के समय उक्त वाहन ट्रक को कथित रूप से सोयेब खान के द्वारा चलाये जाने का प्रश्न है इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से घटना के महत्वपूर्ण साक्षी एवं आहतगण के प्रतिपरीक्षण में चुनौति नहीं दी गई है। ऐसी दशा में बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्ष्य की स्टेज पर नया बचाव पेश किये जाने के कारण बचाव साक्षी के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभियोजन मामले में यह तथ्य प्रमाणित है कि उक्त घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन ट्रक को आरोपी के द्वारा ही चलाया जा रहा था। उक्त दुर्घटना में आहत गोविंद व कीर्ति को साधारण उपहति एवं परमिला को घोर उपहति कारित होने का तथ्य भी प्रमाणित होता है।

16— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर इस तथ्य का विश्लेषण किया जाना है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ट्रक को कथित रूप से उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था, जिस कारण कथित रूप से मानव जीवन संकटापन्न होकर उक्त आहतगण को उपहति कारित हुई थी। इस संबंध में सर्वप्रथम आहत गोविंद (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय ट्रक की गति से मोटरसाईकिल की गति ज्यादा थी और वह तेज गति से जा रहा था और ट्रक धीमी गति से चल रहा था। साक्षी के कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि घटना के समय मोटरसाईकिल पर तीन लोग बैठे थे और ट्रक की गति से तेज चलाते हुए मोटरसाईकिल को ट्रक से ओवर टेक किया गया था। ऐसी दशा में उक्त घटना में आरोपी की स्पष्ट रूप से उतावलेपन या लापरवाही बरते जाने का तथ्य प्रकट नहीं होता है बल्कि स्वयं मोटरसाईकिल चालक के रूप में उक्त आहत ने उतावलेपन से

वाहन चलाने के कारण दुर्घटना होना प्रकट होता है।

17— परिस्थितियों स्वयं बोलती है। प्रकरण में दुर्घटना कारित ट्रक से आहत की मोटरसाईकिल की टक्कर होने के तथ्य मात्र से यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि आरोपी के द्वारा उक्त ट्रक को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जा रहा था। वास्तव में अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है जबकि अभियोजन मामले में बचाव पक्ष को संदेह उत्पन्न करना होता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षी गोविंद (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में उसकी मोटरसाईकिल को ट्रक की अपेक्षा तेज गति से चलाये जाने और मोटरसाईकिल के द्वारा ओवर टेक करने के स्पष्ट कथन किये हैं। अन्य आहत परमिलाबाई (अ.सा.3) एवं कुमारी कीर्ति (अ.सा.4) ने भी अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताया है कि उक्त घटना के समय ट्रक के चालक ने उनकी मोटरसाईकिल द्वारा ओवर टेक करते समय साईड दिया था और ट्रक अपनी साईड में मोटरसाईकिल की गति से कम गति से चल रहा था। ऐसी दशा में ट्रक के चालक की उक्त दुर्घटना में उतावलेपन या उपेक्षा होने का तथ्य प्रकट नहीं होता है बल्कि प्रस्तुत तथ्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस ओर इंगित करती है कि स्वयं आहत गोविंद के द्वारा उक्त घटना के समय उसको मिलाकर तीन लोगों को मोटरसाईकिल में बैठाकर स्वयं ट्रक की अपेक्षा अपनी मोटरसाईकिल को तेज गति से चलाते हुए ओवर टेक करते समय ट्रक के सामने वाले भाग से टकराने के फलस्वरूप उक्त दुर्घटना कारित हुई। अभियोजन उक्त संदेहास्पद परिस्थिति को प्रस्तुत साक्ष्य में दूर नहीं कर सका है। ऐसी दशा में उक्त संदेह का लाभ निश्चित रूप से आरोपी को प्राप्त होता है।

18— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से केवल यह तथ्य प्रमाणित होता है कि उक्त घटना के समय आरोपी के द्वारा ट्रक को चलाया जा रहा था, किन्तु आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाये जाने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है। उक्त कारण से यह भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि आहतगण को आरोपी की गलती के कारण कथित उपहति कारित हुई।

19— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक-एम.पी. 22/बी.4837 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन से गोविंद की मोटरसाईकिल को ठोस मारकर उस पर सवार गोविंद एवं कुमारी कीर्ति को साधारण एवं परमिलाबाई के फ्रेन्टल बोन में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

20— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

21— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक—एम.पी.22/बी.4837 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार सोयेब खान पिता नईम खान को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है। अतएव अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)